न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 106/2014/अपील अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम

मोहनलाल पुत्र मूलचन्द, जाति कुमावत निवासी राणी सती रोड़, सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. नथमल 2. रामस्वरूप	पुत्रगण मोहनलाल जाति कुमावत निवासी राणी सती रोड़, तहसील व जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–

1. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दीनानाथ शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

अपील अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सीकर आदेश दिनांक 30.06.2014

निर्णय

सुनवाई दिनांकः 03 अक्टूबर, 2017 निर्णय दिनांकः 03 अक्टूबर, 2017

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि अपीलांट व उसकी पत्नी काफी वृद्व हो चुके हैं, अपीलांट को आंखों से कम दिखाई देता है तथा चलने फिरने में व काम करने में समक्ष नहीं है। अपीलांट की कृषि भूमि विक्रय करके रेस्पोडेन्टस् ने रूपये प्राप्त कर लिये हैं तथा आवासीय मकान भी रेस्पोडेन्ट के परिवारजनों के नाम उपहार कर दिया है। इसकी एवज में अपीलांट व उसकी पत्नी को रेस्पोडेन्ट 10–10 हजार रूपये प्रतिमाह देने का वादा किया था लेकिन अब नहीं दे रहे हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट व उसकी पत्नी के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अपीलांट का स्वयं अर्जित आवासीय प्लॉट भी उपहार करवा लिया, जिसको निरस्त किया जावे और रेस्पोडेन्ट से प्रतिमाह अपीलांट को 10–10 हजार रूपये भरण पोषण की राशि दिलवायी जाने का आवेदन पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने आदेश दिनांक 30.06.2014 से खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय में आया है।

जिला कलक्टर, सीकर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री दीनानाथ शर्मा ने वकालतनामा पेश किया लेकिन दौराने बहस कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस वकील अपीलांट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलांट व उसकी पत्नी काफी वृद्व हो चुके हैं, अपीलांट को आंखों से कम दिखाई देता है तथा चलने फिरने में व काम करने में समक्ष नहीं है। अपीलांट की कृषि भूमि को विक्रय करने से जो पैसे प्राप्त हुए रेस्पोडेन्ट ने प्राप्त कर लिये हैं तथा आवासीय मकान भी रेस्पोडेन्ट के परिवारजनों के नाम उपहार करवा लिया। इसकी एवज में अपीलांट व उसकी पत्नी को जो रेस्पोडेन्ट द्वारा 10–10 हजार रूपये प्रतिमाह देने का वादा किया था वह भी नहीं दे रहे हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट व उसकी पत्नी के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कथनों के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की और ना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपने आदेश में अपीलांट का मामला भरण पोषण का न बताकर आपसी पारिवारिक विवाद का बताते हुए मनमर्जी से खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे एवं रेस्पोडेन्ट प्रत्येक से अपीलांट को 10 हजार रूपये प्रतिमाह दिये जाने का आदेश फरमावे ताकि अपीलांट अपना व अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सके।

5. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 13.07.2015 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को 2500–2500 रूपये प्रतिमाह अपीलांट को भरण पोषण हेतु दिये जाने का आदेश देते हुए रेस्पोडेन्ट को अपीलांट के खाते की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आदिनांक तक रेस्पोडेन्ट खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सका। जिससे यह साबित होता है कि अपीलांट आर्थिक तंगी में है और उसे भरण पोषण की सुविधा की आवश्यकता है। अतः दिनांक 13.07.2015 को जारी आदेश की पुष्टि करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को प्रत्येक माह को उसके खाते में 2500–2500 रूपये जमा करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

6. निर्णय आज दिनांक:03 अक्टूबर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर

जिला कलक्टर, सीकर